राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर

आदेश

एकलपीठ सिविल रिट पिटीशन नम्बर 478/2002

चतुर्भुज माथुर

बनाम

राजस्थान सरकार व अन्य

आदेश दिनांक नवम्बर 28, 2008

उ प स्थि त

माननीय न्यायाधिपति श्री मोहम्मद रफीक

श्री के सी शर्मा, अधिवक्ता याचिकाकर्ता

श्री राजेश चतुर्वेदी, अधिवक्ता वास्ते
श्री बी के शर्मा, अधिवक्ता अयाचीगण

न्यायालय द्वारा :-

1. विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया।

2. याचिकाकर्ता ने इस रिट याचिका में मूलत: उसके पेंशन प्रकरण को निस्तारित कर सेवानिवृति की देय समस्त राशि का भुगतान 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से अदा करने का निर्देश अयाचीगण को देने हेतु प्रस्तुत की है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि रिट याचिका के लम्बित रहने के दौरान उसे उक्त समस्त लाभ प्राप्त हो गये है परन्तु अयाचीगण ने उक्त भुगतान में हुई 15 माह से अधिक देरी का ब्याज नहीं दिया है।

4. अयाचीगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि देरी पूर्णतया अयाचीगण की वजह से नहीं हुई है। वस्तुत: याची को जो पदोन्नति दी गई थी, उसके संबंध में प्रकरण राज्य सरकार को नियमों में शिथिलता हेतु भेजा गया था तथा राज्य सरकार ने नियमों में शिथिलता अपने आदेश दिनांक 20.05.2002 द्वारा दी थी तथा इसके पश्चात दिनांक 12.06.2002 को पेंशन भुगतान आदेश जारी कर दिया गया।

5. यह विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ता को दिनांक 31.03.2001 को स्वैच्छिक सेवानिवृति दी गई थी। याचिकाकर्ता की पदोन्नति

आदेश दिनांक 01.07.1973 से वरिष्ठ लिपिक के पद पर की गई थी एवं इसके पश्चात वह लगभग 28 वर्षों तक सेवारत रहा एवं इस बीच में उसकी पदोन्नति के नियमों के औचित्य के बारे में किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं उठाया गया। उसकी सेवानिवृति के पश्चात ही अयाचीगण लेखांकन विभाग द्वारा निर्णय लिया गया, जिसका कोई औचित्य नहीं है।

6. सेवानिवृति के भुगतान में हुए विलम्ब के लिए अयाचीगण को पूर्णतया दोषी नहीं पाया जा सकता है। अत: याचिका इस प्रकार निस्तारित की जाती है कि अयाचीगण, याचिकाकर्ता को उसे देय सेवानिवृति भुगतान में हुए विलम्ब के लिए राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 89 के अनुरूप 60 दिवसों की अवधि के पश्चात हुई देरी के लिए 9 प्रतिशत सालाना ब्याज की दर से अदा करेंगे। अयाचीगण इस निर्णय की पालना इस निर्णय की प्रति उनके सम्मुख प्रस्तुत किये जाने के तीन माह के भीतर भीतर आवश्यक रूप से करेंगे।

(न्या0 मोहम्मद रफीक)

बीएलजैन